न्यायालय: अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी	:	**रेशमा खान (आर.जे.एस.) जिला न्यायाधीश संवर्ग**
आपराधिक अपील संख्या	:	295/2022 (103/2018)
सीएनआर नंबर	:	RJSM070008812018

विष्णु सोनी पुत्र रमेशचंद निवासी बामनवास पट्टीकलाँ, पी.एस. बामनवास जिला सवाई माधोपुर राज. **अपीलार्थी**

ब ना म

सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक अदालत हाजा।

–प्रत्यर्थी

श्री कानाराम मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट बामनवास द्वारा आ.प्र.सं.341/2017 सरकार बनाम विष्णु सोनी में दिनांक 24.08.2018 को पारित निर्णय के विरूद्ध अपील

उपस्थित:

1. श्री जी.पी.सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री घनश्याम सिंह, अपर लोक अभियोजक, प्रत्यर्थी की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः 12.06.2026**

01. अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह अपील न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बामनवास द्वारा आ.प्र.सं.341/2017 सरकार बनाम विष्णु सोनी में दिनांक 24.08.2018 को पारित निर्णय/आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 411 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराते हुए उसे कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी रेवडमल मोर्य पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना बामनवास द्वारा रोजनामचा विवरण प्र.पी.1 इस आशय का दर्ज किया कि दिनांक 29.06.2017 को 5.35 पीएम पर मय हमराही जाप्ता 6 पीएम पर कस्बा बामनवास बस स्टेण्ड पहुंचा जहां मुखबिर खास ने बताया कि विष्णु के पास एक मोटरसाईकिल चुरायी हुई है, उक्त सूचना पर नाकाबंदी की गई व एक व्यक्ति बिना नंबरी मोटरसाईकिल लेकर आया, जिसको रोककर चैक किया नाम पता पूछा तो विष्णु बताया व मोटरसाईकिल के कागजात के बारे में पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिपनेट पर सर्च करने पर उक्त मोटरसाईकिल के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर पर मु.सं. 236/2017 धारा 379 भा.दं.सं. में दर्ज होना प्रकट हुआ। जिस पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया व मोटरसाईकिल को कब्जे पुलिस लिया गया। .इत्यादि

03. उक्त सूचना के आधार पुलिस थाना बामनवास पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2017 अंतर्गत धारा 379, 411 भा.दं.सं. दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद अनुसंधान अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश

किया गया।

04. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को 411 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य में गवाह देवेन्द्रसिंह पी.ड.1, जगमोहन पी.ड.2, जगदीश पी.ड.3, देवराज पी.ड.4, सहीराम पी.ड.5, रेवडमल पी.ड.6 को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी0–1 लगायत प्रदर्श पी–10 के रूप में प्रदर्शित कराई गई हैं।

06. अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाह के कथनों को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

07. विचारण न्यायालय द्वारा बहस अन्तिम सुनी जाकर दिनांक 24.08.2018 को निर्णय/आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 411 भा.दं.सं. दोषसिद्ध करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को एक साल के कारावास व तीन हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया, उक्त निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

08. अपील मेमो में यह तथ्य परिलक्षित किये हैं कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य व विधि की उचित विवेचना किये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है। सर्वप्रथम घटना की रिपोर्ट कोतवाली सवाई माधोपुर पर दर्ज हुई थी,इस आधार पर उक्त एफआईआर के संदर्भ में अन्वीक्षा करने का अधिकार सवाई माधोपुर स्थित न्यायालय को ही था लेकिन पुलिस थाना बामनवास ने एक ही घटना की जानकारी होने के बाद दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अलग से चालान पेश किया है तथा उस आधार पर बामनवास स्थित न्यायालय में अन्वीक्षा चली है जो कि विधिक तौर पर चलने योग्य नहीं है। दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई एक ही न्यायालय में होना विधिनुसार आवश्यक था। इस विधिक तथ्य की विद्वान विचारण न्यायालय को पूर्ण जानकारी होने के उपरांत भी दोनों प्रकरणों का एकीकरण न कर एकल रूप से निर्णय पारित करने में विचारण न्यायालय ने भूल की है। गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास है। मौके पर स्वतंत्र गवाह मौजूद होने के बावजूद भी प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है, केवल पुलिसकर्मियों को ही गवाह बनाया गया है, इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में भारी भूल की है। अंत में अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

09. अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा अपील मेमो में अंकित उक्त तथ्य की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क पेश किये कि जिस मोटरसाइकिल के संबंध में थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर में चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसी संपत्ति के संबंध में पृथक रूप से धारा 411 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाना विधिसम्मत। पत्रावली पर समस्त गवाह पुलिस मुलाजमान हैं एवं किसी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 411 भा.दं.सं. में जो दोषसिद्धी की गई है, वह विधिसम्मत नहीं होने की स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त होने योग्य है, अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय को

अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

10. उक्त तर्कों का विरोध अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह कहकर किया है कि हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आयी सम्पूर्ण साक्ष्य का अपराध के परिप्रेक्ष्य में विवेचन विधि के सिद्धान्तों के अनुरूप किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपील मेमो व बहस के दौरान प्रकट नहीं किया है। अतःअपील अस्वीकार कर खारिज की जाएं, विचारण न्यायालय का निर्णय सम्पुष्ट किया जायें।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली व आक्षेपित निर्णय तथा संबंधित विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। इस अपील पत्रावली के निस्तारण हेतु इस न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश पारित किये जाने में क्या विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटी कारित की गयी है?

12. बहस सुन पत्रावली का अध्ययन एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.06.2017 को रेवड़मल मौर्य द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श–8) में उल्लेख किया गया है कि पुलिस दल गश्त पर था, तभी सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित बामनवास से आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा, जहां बामनवास की ओर से आ रही मोटरसाइकिल सहित अपीलकर्ता को रोका गया। पूछताछ करने पर वह मोटरसाइकिल के स्वामित्व अथवा वैध कब्जे से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। तत्पश्चात जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोटरसाइकिल थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर के चोरी के प्रकरण से संबंधित है। मोटरसाइकिल का पंजीयन क्रमांक RJ37SB9727 होना पाया गया। मोटरसाइकिल की बरामदगी का मेमो प्रदर्श–1 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसकी पुष्टि बरामदगी साक्षी देवेन्द्र सिंह एवं जगदीश प्रसाद द्वारा भी की गई है। इन साक्षियों के कथनों से बरामदगी का तथ्य पूर्णतः सिद्ध होता है तथा प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे बरामदगी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न हो।

13. अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता को यह ज्ञान था अथवा उसे यह विश्वास करने का कारण था कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की संपत्ति है। इस संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम, मोटरसाइकिल की चोरी दिनांक 26.04.2017 को हुई थी जबकि उसकी बरामदगी अपीलकर्ता के कब्जे से दिनांक 29.06.2017 को हुई, अर्थात चोरी के लगभग दो माह के भीतर ही चोरी की संपत्ति अपीलकर्ता के कब्जे से प्राप्त हुई। चोरी और बरामदगी के मध्य का यह अल्प अंतराल एक महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य तथ्य है। द्वितीयतः, अपीलकर्ता के कब्जे से मोटरसाइकिल प्राप्त होने के समय उसके पास न तो पंजीयन प्रमाणपत्र (आर.सी.), न कोई विक्रय अनुबंध, न कोई रसीद और न ही स्वामित्व अथवा हस्तांतरण से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध था। यदि मोटरसाइकिल वैध रूप से खरीदी गई होती तो सामान्यतः ऐसे दस्तावेज उपलब्ध होना अपेक्षित था।तृतीयतः, स्वयं बचाव पक्ष के साक्षी DW–1 मुकेश ने यह कथन किया है कि अपीलकर्ता विष्णु ने उक्त मोटरसाइकिल पिंटू नामक व्यक्ति से मात्र ₹12,000/– में खरीदी थी। सामान्य अनुभव एवं व्यवहार की कसौटी पर यह राशि

मोटरसाइकिल के वास्तविक मूल्य की तुलना में अत्यंत कम प्रतीत होती है। किसी मोटरसाइकिल का अत्यल्प मूल्य पर क्रय किया जाना स्वयं इस बात की ओर संकेत करता है कि क्रेता को उसके स्रोत की वैधता के संबंध में संदेह होना चाहिए था। चतुर्थतः, बरामदगी मेमो से यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के प्राप्त हुई थी। बिना नंबर प्लेट के वाहन का सार्वजनिक मार्ग पर चलाया जाना भी एक ऐसी परिस्थिति है जो वाहन की वैधता के संबंध में संदेह उत्पन्न करती है।उपरोक्त समस्त परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता केवल मोटरसाइकिल के कब्जे में ही नहीं था, बल्कि उसके पास ऐसे पर्याप्त कारण भी थे जिनसे उसे यह विश्वास होना चाहिए था कि मोटरसाइकिल चोरी की संपत्ति है। चोरी के तुरंत बाद संपत्ति का उसके कब्जे से मिलना, स्वामित्व संबंधी किसी भी दस्तावेज का अभाव, अत्यंत कम मूल्य पर कथित खरीद तथा वाहन का बिना नंबर प्लेट के होना, ये सभी परिस्थितियां मिलकर धारा 411 भा.दं.सं. के आवश्यक तत्व अर्थात् चोरी की संपत्ति होने के ज्ञान अथवा उस संबंध में विश्वास करने के पर्याप्त कारण को सिद्ध करती हैं। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को धारा 411 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना साक्ष्यों के अनुरूप एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है तथा उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार परिलक्षित नहीं होता।

14. जहां तक अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत इस तर्क का प्रश्न है कि जिस मोटरसाइकिल के संबंध में थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर में चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसी संपत्ति के संबंध में पृथक रूप से धारा 411 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाना विधिसम्मत नहीं है तथा चोरी एवं चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के अपराध का विचारण एक ही अभियोजन में किया जाना चाहिए था। उक्त तर्क पर विचार करने पर यह न्यायालय पाता है कि धारा 379 एवं धारा 411 भा.दं.सं. पृथक एवं स्वतंत्र अपराध हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति तथा चोरी की संपत्ति को जानते हुए प्राप्त अथवा अपने कब्जे में रखने वाला व्यक्ति भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। अतः केवल इस कारण कि मूल चोरी के संबंध में अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन लंबित अथवा विचाराधीन है, धारा 411 के अंतर्गत चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पृथक अभियोजन अवैध नहीं हो जाता। फलस्वरूप अपीलकर्ता का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर प्रकट मौखिक साक्षियों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में तारतम्यता स्थापित करते हुए अभिलेख पर प्रकट प्रलेखीय साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन मौखिक साक्ष्य के द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों के परिप्रेक्ष्य में किया जाकर, जो तथ्य अभियुक्त की दोषसिद्धी के संदर्भ में प्रकट किये गये हैं,उसमें अपील मेमो में दर्शित तथ्य व बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों के द्वारा विपरीत अथवा अतिरिक्त मत रखने का कोई युक्तिसंगत कारण प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार न्यायालय का यह मत है कि हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आयी समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की समग्र एवं अध्योपरांत अवलोकन के उपरांत साक्ष्य की संपूर्ण विवेचना करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है।

16. सजा के बिंदू पर न्यायालय के समक्ष यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धी का कोई पूर्व प्रमाण नहीं है। अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहा हैं तथा निर्णय के उपरांत यह अपील वर्ष 2018 से लंबित है। अतः प्रकरण के उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भी अपीलार्थी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित मानती हूं।

आदेश

17. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त विष्णु सोनी की ओर से प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 341/2017 सरकार बनाम विष्णु सोनी में दिनांक 24.08.2018 को पारित निर्णय में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 411 भा.दं.सं. हेतु दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है एवं पारित दण्डादेश को संशोधित करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 411 भा.दं.सं. के अपराध के लिये अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त आदेश की तिथि से एक माह की अवधि में विचारण न्यायालय की संतुष्टि का पांच हजार रूपये का मुचलका व इसी राशि की एक जमानत इस आशय की पेश कर तस्दीक करा दे कि वह एक साल की अवधि तक शांति व सदाचार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा भुगतने को उपस्थित होगा, तो उसे परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा पर छोड़ा जावे। अपीलार्थी 20,000 रूपये बतौर अभियोजन व्यय विचारण न्यायालय में जमा कराएगा, नियत समयावधि में जमानत मुचलके पेश नहीं करने व अभियोजन राशि जमा नहीं कराने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश स्वतः प्रभावी होगा एवं विचारण न्यायालय नियमानुसार आदेशित सजा भुगतायेगा। अपीलार्थी/अभियुक्त धारा 437 ए के तहत रूपये 5,000/–5,000/–के जमानत–मुचलके इस आशय के पेश करें कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर पेश हो जावेंगे।

विचारण न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति के अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
गंगापुर सिटी

18. निर्णय आज दिनांक 12.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
गंगापुर सिटी